

## डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी / 115

विश्वविद्यालय कार्यालय,  
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :-

8

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता-निरंतरता सत्र 2011-12 में भी जारी है।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी एवं नाइकोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वाह्न—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वाह्न
10. एम.एससी.पूर्वाह्न— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

*Naw*

कुलसचिव  
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,  
ज्ञानवीर महाविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

# डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (ग० प्र०)



क्रमांक/समिति/साग./2009-10/ 7645

विश्वविद्यालय कार्यालय,  
सागर, दिनांक 15.09.2009

7 OCT 2009

प्रति,

प्राचार्य,  
डॉ. अश्विनी महिषविद्यालय,  
गोपालगंज,  
सागर.

विषय : बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में रीट वृद्धि विषयक ।

संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 02.02.2009

गहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादरित पत्र के संदर्भ में कुलसचिव महोदय के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम बी.सी.ए. में 60 रीट के स्थान पर 100 रीट एवं बी.बी.ए. (ऑनर्स) में 30 के स्थान पर 60 रीट की वृद्धि सत्र 2009-10 से की जाती है ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
2. कक्ष सहायक - परीक्षा सहायक
3. कुलपति जी के सचिव

उपकुलसचिव (समिति)  
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

04

" कायलिय आपुक्त इच्छा शिक्षा मण्डलान्तर्गत  
असाक्षकोष वैज्ञानिक संस्थानों से संबंधित शाखा  
हिन्दो भवन, दण्डमला हिल्स, भोपाल."

30.9.91 - प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अंतर्गत

प्राचार्य मानवीर देवा समिति रायपुर

द्वारा प्रमाण-पत्र क्रमांक 091 दिनांक 17.6.2000 द्वारा इस विभाग को  
वि.वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अंतर्गत महाविद्यालय में  
सत्र 2000-2001 से नया असाक्षकोष महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त  
विषयों को लक्षारं प्रारंभ किस जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया है।

1. पी.सी.ए. प्रथम - 2000-2001

विषय:- पी.सी.ए. प्रथम सत्र 2000-2001

2. पी.सी.ए. प्रथम सत्र 2000-2001

3. पी.सी.ए. प्रथम - आधार पाठ्यक्रम, विज्ञानी साहित्य, 2000-2001

अग्रणी साहित्य, सांस्कृतिक, भाषा, समाजशास्त्र,  
राजनीतिशास्त्र, एवं अर्थशास्त्र.

उक्त आवेदन पत्र निरोक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 17.6.2000 पर  
विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि वि.वि.वि. के विद्वत परिषद के प्रावधान  
26(1) के अंतर्गत अधिनियम 1973 के अंतर्गत पूरा कार्य परिषद के वि.वि.वि. अधिनियम  
के प्रावधान 24(1) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दी जाये कि यह संस्था  
के आवेदन पर विचार करें.

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, मातो-निकाय महाविद्यालय, समिति -  
को प्रदान करता है, जिससे कि-वि.वि.वि. अधिनियम की धारा-26(1) के प्राव-  
धानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्त-निम्नानुसार हैं:-

1. सत्र 2000-01 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिए वैज्ञानिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो.
2. प्रयोगशाला को तैयार सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूरी की जायें जिससे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों.
3. संस्था विज्ञानी संस्थाओं को जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध करायें तथा आगे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तब ही अनुमति पत्र प्रस्ताव को जानकारी दें:-

①

डाक्टर हरीसिंह गौर शिक्षा विद्यालय, सागर 8-19-08



क्रमांक: सीमांत/अस्थायी सम्बन्ध/2000/3807

शिक्षा विद्यालय कावांर, सागर, दिनांक 01-01-2001

16

विषय: अधिसूचना :-

परिचय 27 की कंडा 5 एवं 5 के प्राधान्यानुसार शिक्षा पीरबंद की स्थायी समिति को बैठक दिनांक 2-9-2000 में की गई अनुसंधानों के आधार पर कार्यपीरबंद को बैठक दिनांक 3-12-2000 में लिये गये निम्नानुसार ज्ञानपीर महाविद्यालय, सागर में निम्नलिखित विषयों की वक्तव्य प्रारंभ लिये जाने हेतु अस्थायी सम्बन्ध सत्र 2000-2001 के लिये इस शर्तोंके साथ प्रदान की जाती है कि निरीक्षण समिति द्वारा दर्शाये गई कमियों की पूर्ति एवं पीरबंदों, अध्यादेशों में प्राक्कानित नियमों का पालन महाविद्यालय द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा:-

1. लीउएर प्रथम वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजकीयशास्त्र एवं अर्थशास्त्र .
2. ली0काम0 प्रथम वर्ष - सभी अनिवार्य विषय तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन .
3. ली0सी0एर0 प्रथम वर्ष .

आदेशानुसार,

कुलसचिव

डाक्टर हरीसिंह गौर शिक्षा विद्यालय, सागर.

प्रोत्तिसूचि:-

- 1- श्रीमती सीवता श्रीवन्द सिंह रावत, अध्यक्ष महाविद्यालय, ज्ञानपीर सेवा समिति, प्रिन्सिपल काकोनी, लीमानगर, सागर 8-19-08
- 2- प्राचार्य, ज्ञानपीर महाविद्यालय, मुख्य मार्ग, गीनातल, सागर 8-19-08
- 3- आचूक, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन 8 अनामसजीव शैक्षणिक संस्थाओं के संबंधित शाखा 8 हिन्दू भवन, मया मला भवन, गीनातल .
- 4- सचिव, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, लीमानगर, गीनातल .
- 5- जेतेरिक्त संघटक, उच्च शिक्षा 8 सागर संभाग 8 जयपुर .
- 6- संघटक, महाविद्यालयीन विकास पीरबंद, सागर .